

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या ...1290/भू अ०

दिनांक : 16/8/2024

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-गोन्दोडीह, थाना-देवघर, थाना सं०-285, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना पिछड़ीबाद (MDR-229 पर)-संग्रामलोढ़िया-देवसंग मोड़ (देवघर) (बैद्यनाथपुर-कोरियासा पथ पर) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (कुल लम्बाई-16.075 कि०मी०) (पुल निर्माण सहित) कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-गोन्दोडीह, थाना-देवघर, थाना सं०-285, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.30 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है -

क. सं.	खात I सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	422	रैयती	बाड़ी-2	0.08	उत्तम मिस्त्री पे०स्व० बेरासी मड़ेया वो रंभा देवी वो मंचुरनी देवी वो सीता देवी वो बिसनी देवी माता स्व० चिलिया मड़याईन वो ध्रुवज्योति मिस्त्री माता रूधिया मड़याईन अंश समान सा०देह।	मौजा रतन पुर नं०-283	मौजा संग्राम लोढ़िया I नं०-304	अर्जित खेसरा का अंश	अर्जित खेसरा I का अंश
2	3	391	रैयती	बाड़ी-2	0.22	त्रिलोचन यादव पे० अर्जुन महतो वो गिरधारी यादव वो रविन्द्र यादव पे० शिव प्रसाद यादव वो विश्वनाथ यादव पे० चर्तुभूज महतो वो कमी देवी पति दिनेश्वर यादव वो महेश्वर यादव वो कमलेश्वर यादव पे० महावीर महतो वो राजेन्द्र यादव वो डमरू यादव पे० नंद कुमार महतो उर्फ नंदकिशोर यादव वो माला देव्या पति दिलीप यादव वो श्रीकान्त यादव पे० राजेन्द्र यादव वो रमेश यादव वो प्रमोद यादव पे० जगदीश महतो वो उमेशचन्द्र यादव वो टकेश्वर यादव पे० शालीग्राम महतो वो नरेश यादव वो रमेश यादव वो किरण यादव वो कामदेव यादव पे० राधेश्याम महतो वो रामावतार यादव वो विनोद यादव पे० शिवशंकर यादव वो सुमेश्वर महतो वो अशोक यादव पे० परशुराम महतो वो मुकुन्द मुरारी यादव पे० चंदकिशोर यादव वो राजकिशोर यादव वो सुभाष यादव पे० अंतलाल यादव वो कुमार चंदनम वो जितेन्द्र प्रसाद यादव वो जयचन्द्र प्रसाद यादव पे० चिन्तामणी				

९

				यादव वो त्रिपुरारी यादव वो विश्वनाथ यादव वो काशीनाथ यादव वो कौशल यादव वो प्रेम यादव पे० बलभद्र यादव वो गीता देवी पति विनोद यादव वो देवेन्द्र यादव वो विवेक यादव पे० हरि महतो वो नारायण यादव वो नंदकिशोर यादव वो तेजनारायण यादव पे० बद्री महतो वो सिंदु यादव पे० बासुदेव यादव अंश समान सा० देह।			
		कुल रकवा-	0.30				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
देवघर
30/8/2021

उप-समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1290 / भू अ०, देवघर, दिनांक 16/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
देवघर
30/8/2021

उप-समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।